

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/2020

श्री इसरार उल्लाह पिता अमीनउल्लाह
खसरा क्रमांक 365 / 15,
लोहारमण्डी, बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

—

आवेदक

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

—

अनावेदक

विरुद्ध

आदेश

(दिनांक 19.03.2021 को पारित)

01. आवेदक श्री इसरार उल्लाह पिता अमीनउल्लाह, खसरा क्रमांक 365 / 15, लोहारमण्डी, बुरहानपुर (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 02.12.2020 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यु 0461020 दिनांक 09.09.2020 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 02.12.2020 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–06 / 2020 पर दर्ज की गई है।
02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :—
अपीलार्थी/आवेदक माननीय इन्दौर फोरम के शिकायत प्रकरण क्रमांक 4610 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 09 / 09 / 2020 जिसकी प्रति अपीलार्थी/आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 07 / 10 / 2020 को प्राप्त हुई से पीड़ित एवं दुखी होकर निम्नलिखित आधारों पर माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थी/आवेदक ने माननीय इन्दौर फोरम के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72–09–1000100 जो कि गैर घरेलू श्रेणी का होकर टैरिफ एल.व्ही.–4.1 के

अन्तर्गत प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका स्वीकृत भार 15 एच.पी. है।

प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपीलार्थी/आवेदक की ओर प्रथम बार एक पत्र (अनेक्चर-एक) दिनांक 13/12/2019 का जारी करते हुए माह मई 2019 में संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने का कारण बताकर अपीलार्थी/आवेदक से 18,616/- रूपये की मांग की थी, जिसे आगे विवादित राशि से संबोधित किया जावेगा।

उक्त पत्र का घोर विरोध करते हुए अपीलार्थी/आवेदक ने उक्त विवादित राशि को विधि और नियम के विपरीत तथा टैरिफ वर्ष 2019–2020 के दिशा-निर्देशों के विपरीत होने से रिवाइज़/निरस्त किये जाने का निवेदन किया था। किन्तु प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने अपीलार्थी/आवेदक की उक्त आपत्ति को नज़रअन्दाज कर पुनः पत्र भेजकर कर विवादित राशि का भुगतान 3 दिन के भीतर करने का लिखा था। अन्यथा उक्त विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने की धमकी दी गई।

अपीलार्थी/आवेदक ने माननीय इन्डौर फोरम के समक्ष अपनी उपरोक्त समस्या का विधिवत निराकरण किये जाने एवं प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक के द्वारा मांग की जा रही विवादित राशि को निरस्त किये जाने एवं उक्त राशि की मांग को लेकर अपीलार्थी/आवेदक के उक्त विद्युत कनेक्शन को भविष्य में विच्छेदित ना किये जाने बाबत् निवेदन भी किया था।

माननीय फोरम इन्डौर ने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ एवं शिकायत आवेदन पत्र पर गम्भीरतापूर्वक विचार ना करते हुए अपीलार्थी/आवेदक की उक्त शिकायत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिनांक 09/09/2020 को आदेश पारित किया है, जिसकी प्रति अपीलार्थी/आवेदक अधिवक्ता को प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक के कार्यालय से दिनांक 07/10/2020 को प्राप्त हुई है।

विचारणीय प्रश्न :- क्या प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक अपीलार्थी/आवेदक के कनेक्शन पर संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर टैरिफ अनुसार पैनलटी के स्थान पर अपीलार्थी/आवेदक को बिना सूचना दिये टैरिफ परिवर्तन करने एवं अतिरिक्त बिलिंग राशि की मांग करने का अधिकार है?

अपील के आधार :-

1. माननीय इन्डौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ में दर्शाये टर्म्स् एण्ड कॉण्डिशन के कानूनी बिन्दुओं को नहीं समझकर गम्भीर भूल की है।
2. प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने प्रथम सूचना 7 महीने के बाद पत्र दिनांक 13/12/2019 जारी करने के पूर्व माह मई 2019 में संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर एम.डी. मेनटेन करने संबंधी कोई सूचना अपीलार्थी/आवेदक को नहीं दी गई है।

3. अपीलार्थी/आवेदक का उक्त कनेक्शन से संबंधित संविदा मांग 15 एच.पी. की है, जो एम.डी. बेस्ड होने से 115 प्रतिशत के आधार पर 12.86 किलो वाट स्वीकृत भार हो जाता है।
4. अपीलार्थी/आवेदक के कनेक्शन की संविदा मांग से अधिक एम.डी. माह मई 2019 में 12 किलो वाट के स्थान पर 19 दर्ज होने पर इसकी कोई सूचना प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने प्रतिमाह अपीलार्थी/आवेदक को नहीं दी गई थी, जिसके कारण अपीलार्थी/आवेदक ने उक्त अवधि में एम.डी. मेनटेन नहीं कर सका था।
5. प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने टैरिफ में दर्शाये अनुसार अपीलार्थी/आवेदक के कनेक्शन पर संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर पैनल्टी राशि मासिक बिल में प्राप्त कर ली है, उक्त टैरिफ के टर्म्स् एण्ड कण्डिशन (अनेक्चर-2) के अनुसार अपीलार्थी/आवेदक के मासिक बिलों में प्राप्त कर ली है, वास्ते प्रमाण (अनेक्चर-3) संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं, कृपया देखने का कष्ट करें, इसके विपरीत अपीलार्थी/आवेदक को 30 प्रतिशत की एनर्जी चार्ज एवं फिक्स चार्ज की छूट से वंचित करते हुए उक्त कनेक्शन का टैरिफ भी परिवर्ति कर दिया गया है, जो नियमों के विपरीत होने से प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक द्वारा की गई, उक्त मनमानी एवं अवैधानिक कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही साथ विवादित राशि (अतिरिक्त बिलिंग राशि) निरस्त किये जाने योग्य है।
6. प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक अपीलार्थी/आवेदक को अधिक एम.डी. दर्ज होने पर कोई सूचना प्राकृतिक न्याय के आधार पर नहीं दी है, इस आधार पर भी मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त/रिवाइज़ किये जाने योग्य है।
7. प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने पूर्व में पैनल बिल राशि प्राप्त कर लेने के बाद पुनः इसी अवधि में संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने के कारण अतिरिक्त बिलिंग राशि/विवादित राशि की मांग की है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
8. अपीलार्थी/आवेदक अन्य कानूनी मुद्दे एवं अन्य मुद्दे अपने अन्तिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
9. अपील मेमो के साथ आलौच्य आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है।
10. अपीलार्थी/आवेदक द्वारा विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है, जिसकी भुगतान रसीद संलग्न की जा रही है।
11. वर्तमान अपील आलौच्य आदेश की प्राप्ति दिनांक 07/10/2020 से 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपीलार्थी/आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि 18,616/- रुपये उपरोक्त कारणों से निरस्त की जावे एवं अपीलार्थी/आवेदक को एल.व्ही.4(1)(ए) के मुताबिक मासिक बिल जारी कराये जावे एवं

माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम, इन्दौर के आलौच्य आदेश दिनांक 09/09/2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा भुगतान की गई विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि ब्याज सहित अपीलार्थी/आवेदक के आगामी मासिक बिलों में समायोजन करने के आदेश पारित करते हुए इस अपील के खर्च के रूप में 5,000/- रूपये प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक से दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

03. प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 22.12.2020 को नियत की गई। सुनवाई दिनांक को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री जितेन्द्र झारिया, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर शहर संभाग, वेस्ट डिस्काम, म0प्र0, इन्दौर उपस्थित।

अनावेदक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दी गई।

प्रतिउत्तर—प्रतिअपीलार्थी की ओर से

1. यह कि, अपीलार्थी श्री इसरार उल्लाह अमीन उल्लाह, द्वारा सर्विस क्रमांक 72—09—100100 के नाम पर औद्यौगिक उपयोग हेतु, स्वीकृत/अधिकृत भार 15 एचपी. का श्री फेस विद्युत संयोग लिया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी का उक्त विद्युत संयोग मासिक संविदा मांग 15 एचपी. तक उपयोग किये जाने हेतु अनुबंधित है। अनुबंध के आधार पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल के द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश वर्ष 2019—20, एल.व्ही.—4.1 (टर्म्स) के तहत विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं। अवलोकन हेतु टैरिफ आदेश एल.व्ही. 4.1ए की छायाप्रति पृष्ठि प्रादर्श 01 संलग्न है।
3. यह कि, अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग के मीटर पर माह मई—2019 में संविदा मांग 15 एच.पी. से अधिक अधिकतम मांग 19 किलोवाट दर्ज पायी गई। उक्त विद्युत संयोग पर माह मई—2019 में अधिक एम.डी. दर्ज होने पर अपीलार्थी को दिनांक 25/06/2019 को संबंधित झोन कार्यालय के द्वारा सूचना पत्र जारी कर विद्युत संयोग की स्वीकृत भार वृद्धि कराने के संबंध में अवगत कराया गया था। अपीलार्थी को दी गई सूचना पत्र की छायाप्रति प्रादर्श 02 के रूप में संलग्न है।
4. यह कि, अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर जारी किये गये विद्युत बिलों के अंकेक्षण के दौरान पायी गई अनियमित्ता के संबंध में प्रतिअपीलार्थी कम्पनी कार्यालय के द्वारा दिनांक 13/12/2019 को पुनः सूचना पत्र जारी कर अपीलार्थी को उक्त विद्युत संयोग की स्वीकृत भार की सीमा बढ़ाने एवं अंकेक्षण के दौरान संबंधित माह (मई—2019) में निकाली गई अतिरिक्त बिलिंग राशि का भुगतान किये जाने का लेख किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा उक्त अंकेक्षण राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही स्वीकृत भार में वृद्धि

करने के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिअपीलार्थी कम्पनी को उक्त अंकेक्षण राशि का भुगतान न प्राप्त होने की स्थिति में लगभग 03 माह बाद पुनः अपीलार्थी को विद्युत संयोग की स्वीकृत भार बढ़ाने एवं अंकेक्षण राशि भुगतान किये जाने का लेख संबंधित झोन कार्यालय के माध्यम से किया गया। जिसकी छायाप्रति अपीलार्थी, अपील प्रति में एन्कजर 01 के रूप में संलग्न की हैं।

“अपीलार्थी के द्वारा माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण दर्ज कराते हुए प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा निकाली गई उक्त अंकेक्षण राशि को निरस्त कराने एवं अंकेक्षण राशि की मांग को लेकर विद्युत संयोग को भविष्य में विच्छेदित नहीं करने के संबंध में आवेदन/शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया।”

माननीय फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त आवेदन/शिकायत के आधार पर प्रकरण क्रमांक 4610/2020 दर्ज किया गया। माननीय फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान उभय-पक्षों के द्वारा रखे गये बिन्दुओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विधि एवं नियमानुसार, दिनांक 09/09/2020 को आदेश पारित किया गया हैं।

अपीलार्थी प्रश्नः— क्या प्रतिअपीलार्थी, आवेदक के कनेक्शन पर संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर टैरिफ अनुसार पैनल्टी के स्थान पर अपीलार्थी को बिना सूचना दिये टैरिफ परिवर्तन करने एवं अतिरिक्त बिलिंग राशि की मांग करने का अधिकार हैं ?

उत्तरः— अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर संविदा मांग एवं अधिकतम मांग(एम.डी.) मासिक विद्युत देयक में दर्शित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त संबंध में अपीलार्थी को 03 बार सूचना—पत्र जारी किया गया है।

सूचना पत्र में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा लेख किया गया हैं कि, आप के विद्युत संयोग पर अधिकतम मांग, संविदा मांग से अधिक दर्ज हो रही हैं। अतः आप स्वीकृत मांग नियमानुसार बढ़ावे अन्यथा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संम्पूर्ण जबावदारी आपकी रहेगी। अपीलार्थी का वर्णित विद्युत संयोग टैरिफ श्रेणी 4.1ए में जारी किया गया था। अंकेक्षण के दौरान अतिरिक्त बिलिंग टैरिफ आदेश 4.1ए का ही अनुसरण करते हुए निकाली गई हैं। टैरिफ श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अंकेक्षण के दौरान निकाली गई राशि सूचना पत्र जारी करते हुए नियमानुसार मांग की गई हैं।

प्रतिअपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर कंडिका वार प्रतिउत्तरः—

01. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा माननीय वि.उ.शि.नि.फो., इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत हैं कि, उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विद्युत नियामक आयोग, भोपाल द्वारा जारी किये गये टर्म्स एडं कण्डीशन के कानूनी बिन्दुओं को नहीं समझ कर गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत ही आदेश प्रदान किया गया है।

02. यह कि, अपीलार्थी के विद्युत देयको में प्रतिमाह संविदा मांग, अधिकतम मांग आदि दर्शित की जाती हैं। विद्युत संयोग पर संविदा मांग से अधिकतम मांग दर्ज पाये जाने पर अपीलार्थी का दायित्व होता है कि, अनुबंधित संविदा भार की सीमा तक संयोजित भार का उपयोग करे या संबंधित झोन कार्यालय के माध्यम से नियमानुसार स्वीकृत भार वृद्धि के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त विद्युत संयोग का भार बढ़ावे। उक्त विद्युत संयोग संविदा मांग से अधिकतम मांग(एम.डी.) माह मई–2019 अधिक दर्ज होने की सूचना भी आवेदक को दिनांक 25/06/2019 को दे दी गई थी।
03. यह कि, अपीलार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि संविदा मांग 15 एच.पी., एम.डी. बेर्स्ड होने से 115 प्रतिशत के आधार पर 12.86 किलोवाट स्वीकृत भार हो जाता है। अपीलार्थी के द्वारा इस कंडिका के संलग्न एनकजर 03 सिर्फ संविदा मांग से अधिक भार दर्ज पाये जाने पर भार वृद्धि में प्रतिशत की गणना कर उसके आधार पर अतिरिक्त राशि की बिलिंग से संबंधित हैं।
04. यह कि, अपीलार्थी की कंडिका 04 अस्वीकार हैं। अपीलार्थी के विद्युत संयोग के प्रतिमाह विद्युत देयको पर संविदा मांग एवं अधिकतम मांग स्पष्ट प्रदर्शित की जाती हैं। उक्त विद्युत संयोग के मीटर पर माह मई–2019 में स्वीकृत/संविदा मांग से अधिक भार उपयोग करने के कारण अधिकतम मांग(एम.डी.) अधिक दर्ज होने से एक माह की समयावधि में, दिनांक 25/06/2019 को प्रथम सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का लेख भी किया गया है।
05. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा अपील कंडिका क्रमांक 05 में लेख के अनुसार 'संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर पैनल्टी राशि' वाक्य का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि, अपीलार्थी को पूर्व में ही पता था कि, उक्त विद्युत संयोग में संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज की जा रही है। किन्तु अपीलार्थी के द्वारा संविदा भार वृद्धि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा सिर्फ भ्रमित करने के उद्देश्य से कथन किया जा रहा है कि, उक्त अवधि में एम.डी. मेनटेन नहीं कर सका था।
06. यह कि, अपीलार्थी का उक्त विद्युत स्वीकृत/संविदा मांग 15 एचपी. उपयोग हेतु आवंटित है। अपीलार्थी के द्वारा विद्युत संयोग हेतु संविदा मांग(सी.डी.) 15 एच.पी. अनुप्रेषित करने के कारण टैरिफ कैटेगरी एल.व्ही. 4.1(टर्म्स) के अनुसार सामान्य दर पर ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। किन्तु अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग के विद्युत देयक माह मई–2019 में अधिकतम मांग 19 किलोवाट दर्ज की गई है। इस स्थिति में माह मई–2019 के विद्युत देयक में ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत छूट की पात्रता समाप्त हो जाती है। उक्त विद्युत संयोग पर माह मई–2019 निकाली गई 30 प्रतिशत अंतर राशि/अंकेक्षण राशि, की सूचना पत्र के माध्यम से मांग

की गई हैं, जो कि नियमानुसार सही हैं एवं भुगतान किये जाने योग्य हैं। अवलोकन हेतु माह मई-2019 के विद्युत देयक में निकाली गई अंकेक्षण बिलिंग राशि की छायाप्रति **प्रादर्श 03** एवं उपभोक्ता पासबुक रिपोर्ट **प्रादर्श 04** संलग्न हैं।

07. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा माननीय फोरम, इंदौर के समक्ष दर्ज कराये गये प्रकरण क्रमांक 4610 / 2020, का पूर्ण अवलोकन कर उभय-पक्षों के प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष के आधार पर विधि के अनुरूप, आदेश दिनांक 09 / 09 / 2020 को पारित किया गया है। पारित आदेश की प्रति **प्रादर्श 05** संलग्न हैं।

अतः माननीय लोकपाल महोदय से विनम्र निवेदन है कि, उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की उक्त अपील सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें।

प्रकरण में उभयपक्षों की आपसी सहमति से अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2021 नियत की गई।

04. सुनवाई दिनांक 22.01.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी/आवेदक के कनेक्शन की संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर इसकी कोई सूचना प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने प्रतिमाह अपीलार्थी/आवेदक को नहीं दी गई थी, जिसके कारण आवेदक द्वारा अधिकतम मांग को सीमित करने हेतु कोई उपाय नहीं किए जा सके। अपीलार्थी द्वारा अपील में उसके विद्युत संयोजन को गैर घरेलु श्रेणी का बताए जाने किन्तु जारी विद्युत देयकों तथा अनावेदक के कथनानुसार औद्योगिक श्रेणी में होना पाए जाने पर अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा औद्योगिक श्रेणी में कनेक्शन होना स्वीकार करते हुए इस त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हुए पुनः अनावेदक की कार्यवाही को नियम विरुद्ध बताते हुए इसे निरस्त किए जाने का कथन किया।

अनावेदक कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर ने कथन कर पुनः दोहराया कि मई 2019 में अपीलार्थी के परिसर की अधिकतम मांग टैरिफ आदेश में ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार में 30 प्रतिशत कम बिलिंग किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा 20 अश्व शक्ति से अधिक दर्ज होने के कारण टैरिफ आदेश के प्रावधानानुसार इस छूट की पात्रता समाप्त हो जाती है और उक्त माहों में निकाली गई 30 प्रतिशत अंतर राशि/अंकेक्षण राशि नियमानुसार सही एवं भुगतान किए जाने योग्य है।

उक्त 30 प्रतिशत कम बिलिंग/छूट की पात्रता के संबंध में अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया कि टैरिफ आदेश में प्रावधानित 30 प्रतिशत कम बिलिंग का प्रावधान उपभोक्ता विशेष की संविदा मांग आधारित है।

उभयपक्षों के कथन कि उनके द्वारा प्रकरण में अंतिम प्रस्तुतीकरण कर दिया गया है और उन्हें आगे कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना है, प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

05. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उभयपक्षों द्वारा विभिन्न सुनवाईयों में प्रस्तुत किए कथनों/तर्कों/साक्ष्यों के अनुसार प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :-
01. अपीलार्थी को औद्योगिक उपयोग हेतु 15 अश्वशक्ति / 11.19 कि.वा. स्वीकृत भार एवं 20 अश्वशक्ति / 11.19 कि.वा. संविदा मांग का विद्युत संयोजन अनावेदक द्वारा प्रदान किया गया है जिसका सर्विस क्र. 72-09-1000100 है, जिस पर मांग आधारित बिलिंग की जा रही है।
 02. अनावेदक के कार्यालय के आंतरिक अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी के संयोजन पर स्थापित मीटर द्वारा माह मई 2019 में अधिकतम मांग 19 कि.वा. दर्ज की गई जो स्वीकृत संविदा मांग 15 अश्व शक्ति / 11.19 कि.वा. से अधिक थी।
 03. अनावेदक ने अपने पत्र क्र. 1497 दिनांक 13.02.2020 से अपीलार्थी को इस आशय की सूचना दी कि चूंकि टैरिफ आर्डर के अनुसार LV 4.1 केटेगिरी के अंतर्गत ऐसे औद्योगिक कनेक्शन जिसकी संविदा मांग (सी.डी.) 20 एच.पी. तक है, को निम्नदाब की औद्योगिक श्रेणी की सामान्य दर से ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार की 30 प्रतिशत की छूट दी गई है, जबकि टैरिफ नियमानुसार 20 एच.पी. से अधिक अधिकतम मांग होने पर औद्योगिक कनेक्शनों पर नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार पर 30 प्रतिशत की छूट नहीं दिया जाना चाहिए। अतः आपके उक्त कनेक्शन में माह-मई 2019 में दर्ज अधिकतम मांग 19 कि.वा. की नियमानुसार बिलिंग करते हुए कुल राशि रु. 18,616/- की अतिरिक्त बिलिंग की गई जिसका भुगतान तीन दिवस के भीतर कर कार्यालय में अवगत करावें अन्यथा आपका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी। चूंकि आपके कनेक्शन पर अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक दर्ज हो रही है, अतः आप संविदा मांग नियमानुसार बढ़ावें अन्यथा विद्युत अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी।
 04. अपीलार्थी ने अनावेदक द्वारा मांग की गई उक्त राशि अंकेक्षण राशि रु. 18,616/- को विधि एवं नियम के विपरीत तथा टैरिफ आदेश वर्ष 2019-20 के विपरीत होने से रिवाईज/निरस्त किए जाने का निवेदन किया। अनावेदक द्वारा अपीलार्थी के इस निवेदन पर कोई कार्यवाही न करते हुए अपीलार्थी को लिखित में मांग की गई पूरी राशि का भुगतान किए जाने तथा भुगतान न होने की स्थिति में संयोजन विच्छेदित करने की सूचना प्रेषित की गई।

05. अनावेदक द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्डौर एवं उज्जैन क्षेत्र (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक द्वारा मांगी जा रही राशि को निरस्त करने तथा इस राशि की मांग को लेकर भविष्य में संयोजन विच्छेदन नहीं किए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

06. फोरम ने अपीलार्थी के आवेदन को क्र. W0461020 पर दर्ज कर उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रकरण में दिनांक 09.09.2020 को निम्नानुसार अभिमत देते हुए निर्णय पारित किया:-

“अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर फोरम का अभिमत है कि आवेदक के उक्त विद्युत संयोग संविदा मांग 15 एच.पी. (11.19 किलोवॉट) पर माह मई-19 में अधिकतम मांग 19 किलोवॉट दर्ज होने के कारण मांग आधारित टैरिफ संविदा मांग 15 किलोवॉट (20 एच.पी.) से अधिक पाई गई। अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश एल.व्ही. 4.1 ए की टर्म्स के अनुसार परिवादी को उक्त अवधि में पूर्व में ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी उसे निरस्त कर टैरिफ कैटगरी 4.1 ए में दर्शाएं गए ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार के अनुसार बिलिंग को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। तदानुसार विपक्ष द्वारा विधिक प्रावधान में दिए गए दिशा-निर्देशानुसार स्वीकारोक्ति के अनुसार जो अन्तर/अंकेक्षण राशि की मांग की गई है वह परिवादी द्वारा भुगतान किए जाने योग्य है।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार आवेदक के उक्त विद्युत संयोग संविदा मांग 20 एच.पी. (15 किलोवॉट) पर माह मई-19 में अधिकतम मांग 19 किलोवॉट दर्ज होने के कारण मांग आधारित टैरिफ संविदा मांग 15 किलोवॉट (20 एच.पी.) से अधिक पाई गई। अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश एल.व्ही. 4.1 ए की टर्म्स के अनुसार परिवादी को उक्त अवधि में पूर्व में ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी उसे निरस्त कर टैरिफ कैटगरी 4.1 ए में दर्शाएं गए ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार के अनुसार बिलिंग को पुनरीक्षित किया जावे। तदानुसार विपक्ष द्वारा विधिक प्रावधान में दिए गए दिशा-निर्देशानुसार स्वीकारोक्ति के अनुसार जो अन्तर/अंकेक्षण राशि की मांग की गई है वह परिवादी द्वारा भुगतान की जावे।

07. फोरम के आदेश से पीड़ित एवं दुखी होकर अपीलार्थी द्वारा लोकपाल के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

06. प्रकरण में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से निम्न आशय के कथन/तर्क प्रस्तुत किए हैं :-

01. अनावेदक ने प्रथम सूचना 7 महीने बाद पत्र दिनांक 13.12.2019 जारी करने के पूर्व मई-19 में संविदा मांग से अधिक एम.डी. (अधिकतम मांग) दर्ज होने पर एम.डी. मेन्टेन करने संबंधी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी जिससे अपीलार्थी उक्त अवधि में एम.डी.

मेन्टेन नहीं कर सका। प्राकृतिक न्याय के आधार पर अधिक एम.डी. दर्ज होने की सूचना नहीं दिए जाने के आधार पर भी मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त/रिवाईज किए जाने योग्य है।

02. अनावेदक ने अपीलार्थी के कनेक्शन पर संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने पर लागू सामान्य टैरिफ एल.वी-4 निबंधन एवं शर्तें खण्ड के अनुसार पेनल्टी राशि मासिक बिलों में प्राप्त कर ली है, जो इन माहों के बिलों जिनकी छायाप्रतियां अपील के साथ संलग्न हैं, से स्पष्ट है, इसके विपरीत अपीलार्थी की 30 प्रतिशत की एनर्जी चार्ज एवं फिक्स चार्ज की छूट से वंचित कर दिया गया है, जो नियमों के विपरित होने से निरस्त/ संशोधित किए जाने योग्य है।
03. पूर्व में पैनल बिल राशि प्राप्त कर लेने के बाद पुनः इसी अवधि में संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज होने के कारण अतिरिक्त बिलिंग राशि की मांग की है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
07. अपीलार्थी के उक्त कथनों/तर्कों पर तथा अतिरिक्त बिलिंग की गई अपनी कार्यवाही के पक्ष में अनावेदक द्वारा मुख्य रूप से निम्न आशय के कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।
01. अपीलार्थी को अनुबंधित संविदा मांग 15 अश्वशक्ति के अन्तर्गत टैरिफ आदेश वर्ष 2019–20 के एल.व्ही.-4.19 ए (टर्म्स) के आधार पर विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं।
02. मई–19 में संविदा मांग से अधिक अधिकतम मांग दर्ज पाई जाने पर अपीलार्थी की सूचना पत्र जारी कर स्वीकृत भार में वृद्धि कराने के संबंध में अवगत कराते हुए संविदा मांग में नियमानुसार वृद्धि कराने हेतु तथा ऐसा नहीं करने पर म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के तहत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने बाबत सूचित किया गया था।
03. अपीलार्थी के विद्युत संयोग पर जारी किए बिल के अंकेक्षण के दौरान अनियमितता पाई जाने पर मई–19 में निकाली गई अतिरिक्त बिलिंग राशि का अपीलार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया गया न ही स्वीकृत भार बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया।
04. अपीलार्थी को 15 अश्व शक्ति संविदा मांग उपयोग हेतु आवंटित होने तथा संविदा मांग 15 अश्व शक्ति अनुप्रेषित करने के कारण टैरिफ केटेगरी एल.वी.-4.1 (टर्म्स) के अनुसार सामान्य दर पर ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। किन्तु मई–19 अधिकतम मांग 19 कि.वा. दर्ज होने से इस माह के विद्युत देयक में उक्त 30 प्रतिशत छूट की पात्रता समाप्त हो जाती है। अतः इस माह की 30 प्रतिशत अंतर राशि/अंकेक्षण राशि की सूचना पत्र के माध्यम से की गई मांग नियमानुसार सही एवं भुगतान योग्य है।

08. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों/साक्ष्यों की म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 (संक्षेप में – संहिता) तथा माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश वर्ष 2019–20 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार विवेचना की गई।

01. स्वीकृत तथा संविदा भार से अधिक विद्युत की खपत किए जाने के संबंध में संहिता की कण्डिका 7.26 में प्रावधानित है कि ऐसे उपभोक्ता से विद्युत दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रियां के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जावेगी।

इस संबंध में टैरिफ आदेश वर्ष 2019–20 के ‘सामान्य निबंधन एवं शर्तें’ के खण्ड की कण्डिका – 6(क) में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं :–

‘6. आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess connected load or Excess Demand): इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

क) **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु (For demand based tariff)** मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग (Contract Demand) के अन्तर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 120 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 120 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 120 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Load):** आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू न हाँगें।

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand):** इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand):** संविदा मांग से 120 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of the contract demand):** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 130 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।”

संहिता की कण्डिका 7.26 तथा टैरिफ आदेश की उक्त कण्डिका – 6(क) से स्पष्ट है कि मांग आधारित विद्युत-दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को स्वीकृत संविदा मांग से अधिक वास्तविक अधिकतम मांग दर्ज होने पर विनिर्दिष्ट उच्चतर दर से स्थाई प्रभार की बिलिंग की जाना है। इसके प्रकाश में अनावेदक द्वारा माह मई-19 में जारी विद्युत बिलों की प्रस्तुत प्रति एवं अंकेक्षण बिलिंग राशि की प्रस्तुत छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा संविदा मांग से अधिक वास्तविक अधिकतम मांग दर्ज होने के आधार पर नियमानुसार उच्चतर दर से स्थाई प्रभार की बिलिंग की गई जो उचित पाई जाती है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बिल किए गए स्थाई प्रभार की राशि की जांच/गणना नहीं की गई है क्योंकि इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

02. टैरिफ आदेश वर्ष 2019–20 की निम्न दाब टैरिफ श्रेणी एलवी-4.1 के टैरिफ की तालिका के नीचे मांग आधारित विद्युत दर के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रावधान का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार है :—

“* ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिनकी संविदा मांग 20 अश्वशक्ति (HP) तक हो, वहां ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों की बिलिंग उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई विद्युत-दर (टैरिफ) श्रेणी 4.1 के हेतु प्रभारों से 30 प्रतिशत कम दर पर की जाएगी।”

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जब तक उपभोक्ता की संविदा मांग 20 अश्व शक्ति की अधिकतम सीमा तक सीमित है तब तक संबंधित वित्तीय वर्ष में ऐसे उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी।

03. विवेचना में ‘संविदा मांग’ और ‘अधिकतम मांग’ की व्याख्या के लिए संहिता की कण्डिका 2.1 (जी) का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं और जिसमें ‘संविदा मांग’ की व्याख्या की गई है।

“ 2.1(जी) ; बिलिंग मांग (*Billing demand*) किसी श्रेणी के लिये इसकी गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत-दर आदेश (*Tariff order*) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।”

उक्त कण्डिका के प्रकाश में टैरिफ आदेश 2019–20 की कण्डिका – 6 की उप कण्डिका (घ) का अवलोकन किया गया :—

“ 6(घ) ; प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (*Maximum Demand*) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा के चार गुना के रूप में की जाएगी।”

उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि बिलिंग के दृष्टिकोण से ‘संविदा मांग’ एवं ‘अधिकतम मांग’ दोनों भिन्न भिन्न इकाई हैं। एक तरफ जहां ‘संविदा मांग’ एक स्थाई इकाई है जो किए गए

अनुबंध के प्रभावशील रहने तक स्थिर रहती है वहीं 'अधिकतम मांग' मासिक आधार पर परिवर्तनशील है। 'अधिकतम मांग' जहां उपभोक्ता द्वारा माह विशेष में विद्युत के किए गए उपयोग पर निर्भर होकर परिवर्तनशील है वहीं 'संविदा मांग' मासिक आधार पर किए जा रहे विद्युत के उपयोग पर आधारित नहीं होकर एक समान रूप से प्रत्येक बिलिंग माह में अपरिवर्तनीय एवं एक समान होती है।

04. टैरिफ आदेश की टैरिफ श्रेणी एलवी – 4.1 (क) में उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार में 30 प्रतिशत की छूट या टैरिफ से 30 प्रतिशत कम बिलिंग किए जाने का प्रावधान संविदा मांग आधारित है और इस छूट की पात्रता के लिए इसका उपभोक्ता की 'अधिकतम मांग' से कोई परोक्ष या अपरोक्ष संबंध विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जब तक उपभोक्ता विशेष की संविदा मांग 30 प्रतिशत छूट या 30 प्रतिशत कम बिलिंग के लिए प्रावधानित अधिकतम सीमा तक सीमित है तब तक टैरिफ आदेश अनुसार उपभोक्ता इस 30 प्रतिशत छूट या 30 प्रतिशत कम बिलिंग के लिए पात्र रहता है फिर चाहे 'संविदा मांग' के सापेक्ष उसकी मासिक 'अधिकतम मांग' का परिमाण जो भी हो।

05. अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में टैरिफ आदेश के 'सामान्य निबंधन एवं शर्तें' के खण्ड की कण्डिका 8(ण) में किए गए प्रावधान का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार उद्घृत है :–

" 8(ण) ; विद्युत-दर (टैरिफ) तथा विद्युत-दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे । आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।"

अनावेदक द्वारा अपीलार्थी के संयोजन के विरुद्ध की गई कार्यवाही के पूर्व टैरिफ आदेश की उक्त कण्डिका के प्रावधानानुसार माननीय आयोग से अपनी कार्यवाही के पक्ष में कोई पूर्वानुमति लिया जाना सूचित नहीं किया गया है और इस स्थिति में अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही स्वतः 'शून्य एवं अकृत' हो जाती है।

06. टैरिफ आदेश में निर्धारित सीमा तक संविदा मांग वाले उपभोक्ता विशेष को ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार में 30 प्रतिशत कम बिलिंग किए जाने के प्रावधान को उपभोक्ता की मासिक 'अधिकतम मांग' से सम्बद्ध कर अपीलार्थी के संयोजन की मई-19 में दर्ज अधिकतम मांग जो 30 प्रतिशत कम बिलिंग की पात्रता हेतु टैरिफ आदेश में प्रावधानित संविदा मांग की अधिकतम सीमा 20 अश्वशक्ति से अधिक होने के कारण अपीलार्थी इन माहों में टैरिफ आदेश में प्रावधानित ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार की 30 प्रतिशत कम

बिलिंग हेतु पात्र नहीं रहता है, संबंधी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन होकर न्यायोचित और स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

09. उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है कि –
- i) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।
 - ii) अनावेदक द्वारा अपीलार्थी के विद्युत संयोजन सर्विस क्र. 72-09-1000100 के माह मई-19 के जारी मासिक विद्युत देयक का पुनरीक्षण कर इनमें ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार की टैरिफ आदेश में प्रावधानित 30 प्रतिशत कम बिलिंग से उपभोक्ता को वंचित करते हुए इस आधार पर अपीलार्थी की रु. 18,616/- की की गई अतिरिक्त बिलिंग तथा इस पर लगाए गए अधिभार को 'शुन्य एवं अकृत (Null & Void)' घोषित करते हुए फोरम का आदेश दिनांक 09.09.2020 निरस्त किया जाता है।
 - iii) अपीलार्थी द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन अपीलार्थी के तत्काल आगामी विद्युत देयक/देयकों में किया जाए।
10. उक्त निर्णय के साथ ही प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
11. म.प्र.वि.नि.आ. (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के संशोधित विनियम 4.28 के प्रावधानानुसार अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
12. उभयपक्षों को आदेश की निःशुल्क प्रति प्रेषित हो और आदेश की एक प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल